हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1200 पदों पर नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के एकल पीठ के आदेश के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

नैनीताल] [जेएनएन]: हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1200 पदों पर नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के एकल पीठ के आदेश के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है।

अल्मोड़ा निवासी हरीश चंद्र ने याचिका दायर कर कहा था कि वह डीएलएड हैं। राज्य सरकार ने सहायक अध्यापकों के पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की उसमें याचिकाकर्ता को योग्य नहीं माना।

पढ़ें:- राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने वापस लौटाई सहायता राशि

हरीश ने याचिका में आगे कहा था कि वह डीएलएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण भी है। इस आधार पर एकल पीठ ने राज्य सरकार को इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल करते हुए नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए थे।

पढ़ें:- उत्तराखंड के बजट पर कुंडली मारकर बैठी है केंद्र सरकार: हरीश रावत

एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील के जरिये चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 28 जून नियत कर दी है।

पढ़ें:- हरीश रावत के स्टिंग की सीबीआइ जांच को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब